

कार्यालय—प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।
पत्रांक— 1172 /12-1,दिनांक, कालसी, 22-10- 2021

सेवामें,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पष्ठा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/126632/2021)

सन्दर्भ : अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक—159/FP/UK/ROAD/126632/2011), दिनांक 15.07.2021 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक—3792/25सी (वन भूमि), दिनांक 08.10.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/126632/2021 में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार किया गया है—


आपत्ति संख्या	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	प्रस्ताव में संलग्न लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची में ग्राम पष्ठा मल्लावाला की अंकित किये गये हैं, किन्तु आमवाला, पीपलसार एवं भूड ग्राम का उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त वन अधिकार अधिनियम-2006 के अभिलेखों में मात्र आमवाला एवं मल्लावाला-II व I की मीटिंग का कार्यवृत्त संलग्न किया गया है। शेष दोनों ग्राम पीपलसार एवं भूड की मीटिंग का कार्यवृत्त संलग्न ग्रामवासियों के नाम व हस्ताक्षर सहित अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।	प्रस्तावित मार्ग में आने वाले ग्राम आमवाला एवं मल्लावाला ग्राम पंचायत पष्ठा के मजरे हैं। इसलिए लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची में पष्ठा आमवाला मल्लावाला अंकित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग में पीपलसार एवं भूड गांव की जमीन प्रभावित नहीं हो रही है। अतः इन दोनों ग्रामों का वन अधिकार अधिनियम-2006 हेतु कार्यवृत्त संलग्न नहीं किया गया है।
2	Online Part-1 के बिन्दु संख्या बी-2.3 में Village wise breakup में मात्र ग्राम मल्लावाला ही अंकित किया गया है, पूर्व सूचना अंकित की जाय।	Online Part-1 के बिन्दु संख्या बी-2.3 में Village wise breakup में पूर्ण सूचना अंकित कर Online Upload कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की मूल्यांकन सूची को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की मूल्यांकन सूची को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
4	प्रस्तावित क्षेत्र की राष्ट्रीय/बिनाग वन्य जीव विहार से हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्तावित क्षेत्र की राष्ट्रीय/बिनाग वन्य जीव विहार से दूरी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर Online Upload कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में संलग्न फार्म ए भाग-2 में वानस्पतिक घनत्व 0.2 एवं 0.5 अंकित किया गया है, किन्तु एन0पी0वी0 Calculation Sheet में प्रस्तावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.4 से 0.7 अंकित किया गया है, इस विसंगति का निराकरण किया जाय।	प्रस्ताव में संलग्न फार्म ए भाग-2 में वानस्पतिक घनत्व एवं एन0पी0वी0 Calculation Sheet में प्रस्तावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व सही अंकित कर दिया गया है।

आपत्ति संख्या	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
6	प्रस्ताव में संलग्न ऑनलाईन पार्ट-2 में प्रस्तावित परियोजना की वन सीमा से दूरी 0.5 किमी० प्रदर्शित की गयी है, किन्तु मोटर मार्ग का निर्माण आरक्षित वन भूमि से होकर किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्ताव में संलग्न ऑनलाईन पार्ट-2 में प्रस्तावित परियोजना की वन सीमा से दूरी सही अंकित कर दी गई है।


अतः अनुरोध है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जा रही है कि उक्त आख्या को अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू०सं० वनप्रभाग,
कालसी।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू०सं० वनप्रभाग,
कालसी।



पत्रांक 3792/25सी०(वन भूमि)
सेवा में,

दिनांक 08/10/2021.

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
कालसी।

विषय – जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत पष्ठा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला मल्लावाला।। से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून की पत्र संख्या 159/FP/UK/ROAD/126632/2021 दिनांक 15.07.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वन संरक्षक कार्यालय, देहरादून को सम्बोधित तथा जिसकी प्रति आपके कार्यालय को भी प्रेषित है। पत्र में विषयक प्रकरण सम्बन्धी कतिपय कमियां अंकित की गई है। आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है:-


क्र०सं०	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, देहरादून कार्यालय द्वारा अंकित की गई कमियां	निराकरण
1.	प्रस्ताव में संलग्न लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची में ग्राम पष्ठा मल्लावाला की अंकित किये गये हैं, किन्तु आमवाला, पीपलसार एवं भूड ग्राम का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वन अधिकार अधिनियम 2006 के अभिलेखों में मात्र आमवाला एवं मल्लावाला ।।। की मीटिंग का कार्यवृत्त संलग्न किया गया है। शेष दोनों ग्राम पीपलसार एवं भूड की मीटिंग का कार्यवृत्त संलग्न ग्रामवासियों के नाम व हस्ताक्षर सहित अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।	प्रस्तावित मार्ग में आने वाले ग्राम आमवाला एवं मल्लावाला ग्राम पंचायत पष्ठा के मजरे हैं। इसलिए लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची में पष्ठा आमवाला मल्लावाला अंकित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग में पीपलसार एवं भूड गांव की जमीन प्रभावित नहीं हो रही है, अतः इन दोनों ग्रामों का एफ०आर०ए० 2006 हेतु कार्यवृत्त संलग्न नहीं किया गया है।
2.	Online Part-1 की हार्ड प्रति में बिन्दु संख्या बी- 2.3 में Village wise breakup में मात्र ग्राम मल्लावाला ही अंकित किया गया है, पूर्ण सूचना अंकित की जाय।	Online Part-1 के बिन्दु संख्या बी-2.3 में Village wise breakup में पूर्ण सूचना अंकित कर Online Upload कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की मूल्यांकन सूची को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की मूल्यांकन सूची को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
4.	प्रस्तावित क्षेत्र की राष्ट्रीय पार्क/बिनाग वन्य जीव विहार से हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्तावित क्षेत्र की राष्ट्रीय पार्क/बिनाग वन्य जीव विहार से दूरी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर Online Upload कर दिया गया है।
5.	प्रस्ताव में संलग्न फार्म ए भाग 2 में वानस्पतिक घनत्व 0.2 व 0.5 अंकित किया गया है किन्तु एन०पी०वी० Calculation Sheet में प्रस्तावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.4 से 0.7 अंकित किया गया है, इस विसंगति का निराकरण किया जाय।	बिन्दु संख्या 5 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाना है।

क्र०सं०	अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी देहरादून कार्यालय द्वारा अंकित की गई कमियां	निराकरण
6.	प्रस्ताव में संलग्न ऑनलाईन पार्ट 2 में प्रस्तावित परियोजना की वन सीमा से दूरी 0.5 किमी० प्रदर्शित की गयी है किन्तु मोटर मार्ग का निर्माण आरक्षित वन भूमि से होकर किया जाना प्रस्तावित हैं।	बिन्दु संख्या 6 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रकरण में दर्शायी गई कमियों का निराकरण कर दिया गया है। अनुरोध है कि कृपया संदर्भित पत्र में बिन्दु संख्या 5 एवं 6 में अपने प्रभाग से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर वन भूमि प्रकरण उच्च स्तर को Online एवं Hard Copy में अग्रेसित करने का कष्ट करें।

संलग्न— वन भूमि प्रस्ताव
05 प्रति में।

भवदीय,



(इ० राजेश कुमार)
अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

पत्रांक / 25 सी० (वन भूमि)

दिनांक / / 2021.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय विधायक, विकासनगर विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा भवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
5. श्री महिपाल सिंह रावत, खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।


अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून